

न्यायालय सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

वादी

बनाम

प्रतिवादीगण

अन्तिम डिक्री

1 पोकराराम पुत्र ताजाराम जाति जाट निवासी प्रागाणियों की ढाणी, विशाला तहसील व जिला बाड़मेर।

1 शम्भूराम पुत्र हेमाराम जाति जाट निवासी प्रागाणियों की ढाणी, विशाला तहसील व जिला बाड़मेर 2 प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा, 3 तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 RTA Act.

मुकदमा नम्बर :- 67 / 2022

निर्णय दिनांक :- 01.04.2025


वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी संख्या की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 01.04.25 को श्री वीरमा राम, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि :-

तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के मद्देनजर वादी एवं प्रतिवादी के मध्य मौजा प्रागाणियों की ढाणी पटवार हल्का भाड़खा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 796 / 421 रकबा 7.6485 हैक्टर भूमि का विभाजन कर लगान का निर्धारण निम्नप्रकार किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान	खसरा संख्या	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान	बरंग
1	पोकराराम पुत्र ताजाराम जाति जाट सा. देह खातेदार	796 / 421	3.8243	बा.दो.	1.41	गुलाबी
2	शम्भूराम पुत्र हेमाराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा	796 / 421	3.8242	बा.दो.	1.42	आसमानी

तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद कर नक्शा में तरमीम करावें। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

यह आज तारीख 01.04.25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


(वीरमा राम)
पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर,
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	रूपया
4 रुपये पर प्लीडर की फीस	रूपया
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	रूपया
6 कमिश्नर की फीस	रूपया
7 आदेशिका की तामिल	रूपया
जोड़	जोड़